प्रोत्साहन

हमारे समाज मे हर जगह प्रोत्साहन की बहुत ज्यादा जरुरत है पर हम प्रोत्साहन के इस्तेमाल मे बहुत ही कंजूसी से काम लेते हैं । हालाकि इसको बरतने से हम गरीब नहीं हो जाते पर पता नही क्यो हम इसे किसीको देना नहीं चाहते । हर समय हर जगह हर आदमी हमारे साथ अगर नही है तो हमारे विरुद्ध काम कर रहा होगा यह भी जरुरी नहीं है । इसलिये जरुरी नहीं कि हम हर किसी का हर बात मे, विरोध करें । उस बात को हम प्रोत्साहित करें तो हमारा कोई मोल नहीं लगेगा और उस बात को आगे बढने का मौका मिलेगा । क्या यह देश-समाज के लिये अच्छा नहीं होगा? जिस काम मे हमारा कोई दूर तक नुक्सान नहीं है उसे दूसरो को कोई अडचन डाले बिना करने दे और उसको प्रोत्साहन दें तो हमारा भारत दुनिया में कितना आगे बढ जायेगा, यह सोच कर देखें । जिस जगह प्रोत्साहन की कोई जरुरत नही है वहाँ उसका खूब इस्तेमाल हो रहा है। जैसे भ्रष्टाचार, गन्दगी, जनसंख्या, भेद-भाव, जातिवाद, प्रान्तवाद, भाई भतीजावाद का विरोध कीजिये।

अब हम कुछ क्षेत्रों मे प्रोत्साहन केसे इस्तेमाल होता है उसकी छटा देखेंगे । घर-घर मे हमारे बच्चे कुछ नया काम करने के लिये तय्यार है । हमारा सबसे पहला प्रश्न होगा, क्या किसी और ने पहले किया है जो तुम करने चले हो? स्वस्थ परम्परा यह हो कि भगवान तुमको सफल बनाये, जरुर करो यह नया काम । अब मैं एक आप बीती आपको सुनाता हूँ । मै एक बार रेलवे रिजर्वेशन कराने के लिये घर से निकलने ही वाला था कि मेरी मा ने भविष्य वाणी सी कर दी कि बेकार जाना है टिकट मिलेगा नहीं क्योंकि समय बहुत कम है । मैने उन्हे प्यार से अपने पास बैठा लिया और पूछा क्या यह नही हो सकता है कि शायद मिल जाये? और आप सच माने मुछे टिकट मिल भी गया जिस ट्रेन का चाहिये था ।किसी काम को हम जब करने निकलते हैं तो दो बातें हो सकती हैं, या तो काम पूरा होगा नहीं होगा । पर जो काम करने निकल रहा है उसे निरुत्साहित करने से दूसरों का कोई भला नही होने वाला है । प्रयत्न करने पर अगर कोई काम नही भी हुआ, तो वह भी हमे कुछ सिखा कर ही जाता है ।

दूसरा नजारा हम देखेंगे कि स्कूलों मे क्या होता है । जो बच्चे पढने मे तेज हैं, खुद आगे बढने मे सक्षम हैं अध्यापकगण उन पर विशेष ध्यान देते है और कहीं यह दिखाना हो कि हमारा स्कूल कैसा काम कर रहा है तो भी उन्हीं वच्चो को दिखाया जायेगा और जिन वच्चों को यदि कुछ प्रोत्साहन मिल जाय जिन्हे घरों पर नहीं मिलता है तो शायद और ज्यादा बच्चे स्कूल के अच्छ निकलें । परीक्षाओं मे भी गलतियों के अंक काटे जाते हैं। यह नहीं होना चाहिये, बच्चे ने जो भी कुछ किया है उसके आधार पर कुछ न कुछ अंक प्रोत्साहन हेतु दिये ही जाने चाहिये । यह बिलकुल वही बात है कि ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है एक पक्ष नकरात्मक है तो दूसरा सकारात्मक है । साल भर बच्चे ने क्या किया उससे हमे कोई सरोकार नहीं, पर वह कितना रट सकता है और फिर पूछने पर उगल सकता है उतना ही उसे होशियार माना जायेगा । जब कि सही बात यह होनी चाहिये कि पढे हुये नियमो को समय आने पर इस्तेमाल कर पाना ही पास या फेल का सही माने रखता है । नई शोध के आधार पर समस्याओं को सुलझाना ही सही पढाई होनी चाहिये और उसमे प्रोत्साहन का पुट हो ।

तीसरी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि सरकारी तंत्र मे प्रोत्साहन का क्या हाल है । यहाँ पर हम यदि बेंको की कार्य प्रणाली को देखने से शुरु करें तो बहुत अच्छा रहेगा । यदि आप किसी ग्रामीण बैंक मे खाता खोलना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम एक या दो सप्ताह का समय होना चाहिये वरना काम नहीं बनेगा चाहे आपके पास अपनी फोटो हो और कोई व्यक्ति हस्ताक्षर करने को तैय्यार भी हो कि आप ही वही व्यक्ति है जो खाता खोलना चाहते हैं । आप सब नियमो को पालन करने को तैय्यार हैं पर बेंको के साहब के पास समय नहीं है तो काम केसे होगा। यह मेरी अपबीती है जो मैने आपको बताई। सब नियम भ्रष्टाचार को रोकने के लिये बनाये गये हैं। पर जहाँ काम में प्रोत्साहन पर जोर नहीं दिया जाता

वहाँ कर्मचारी सेवा नहीं लोगों को परेशान करने में अपनी पावर समझते हैं । नतीजा यह है कि नियम ही अप्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं।

आप जरा बारीकी से देखें कि नियम क्यो होते है? उत्तर होना चाहिये, ताकि जनता को परेशानी कम से कम हो और काम आसानी से हो जाय। पर जब हमारे अधिकांश नियम ही अविश्वास पर आधरित है तो यह कैसे संभव होगा। आप अठारह साल के हो गये तो वोट दे सकते हैं पर कहीं पर भी प्रार्थना पत्र देना हो तो आपको अपने पिता जी के नाम बिना नहीं चलेगा । ज्यादातर ये नियम अंग्रेजी सरकार ने बनाये थे ताकि स्थानीय जनता को डरा कर सरकार के कार्यो से दूर रक्खा जा सके तो नियम ऐसे तो होगे ही जो जनता को निरुत्साहित करें, उन नियमों मे प्रोहत्साहन और देश का विकास ढूँढना व्यर्थ ही है। इसलिये अब यह जरुरी है कि जनता सभी नियमो का पुनः मूल्यांकन करे । हर काम गवर्नर या राष्ट्रपति के नाम मे होता है पर कार्यो पर उनका कोई अंकुश नहीं है । जब हर काम उनके बिना चल सकता है तो उनकी क्या जरुरत है ? एक रिपोर्ट के अनुसार तीन हजार नियमो मे से करीब दो हजार ऐसे हैं जिनका अब कोई औचित्य नहीं है। जैसे अब ट्रांसफर करने से क्या फायदा है अब यदि कोई जनता सेवक भ्रष्टाचारी पाया जाय तो उसको पदच्युत किया जाना अच्छा है या दूसरों पर थोपना ट्राँसफर करके । इंस्पेकटर क्यो होते थे? क्योकि अंग्रेजो को स्थानीय पदाधिकारियों पर भरोसा नहीं था पर अब हमे जनता सेवकों पर भरोसा करना होगा । यदि वे इस भरोसे के लायक नहीं हुये तो उनको पद छोडना पडेगा । **इंस्पेकटर राज्य को बन्द करना पडेगा, ट्रान्सफरों को भी बन्द करना होगा, उससे बस जनता सेवको व नेताओं का अधिक लाभ हो रहा है जनता का कम लाभ होता है । उसी तरह मनीआर्डर व्यवस्था को भी हटाना होगा, कि पैसा केन्द्र से राज्यो को,वहाँ से फिर शहरो मे,फिर कस्बो मे, फिर गावों मे पहुचता है इसमे समय ब अपव्यय दोनो ही ज्यादा हैं और कार्य पूर्ण होने मे रुकावटें ज्यादा होती हैं** । जनता का भारी नुक्सान होता है, उन्हे सुबिधायें देर से मिलती हैं या कभी नहीं भी मिलती हैं क्योकि ज्यादातर पैसा बीच मे ही व्यय हो जाता है, किन्ही और मदो मे, या जनता सेवकों की तन्खाओं मे। एक बात याद रक्खें जनता क्या कोई और भी अपने सेवकों को अपनी सामर्थ्य से ज्यादा तनखा नहीं दे सकती है । हमारे जनता सेवक कहेंगे कि हमको काम नही करना है अगर आज क्रिकट का मैच हो रहा है, काम नही होगा आफिसों मे । दुनिया भर मे कुछ हो जाय जैसे सदाम हुसेन को फासी क्यो दी गई -काम बन्द। प्रोत्साहन जनता की सुविधा का होना चाहिये सार्वजनिक स्थानो पर मगर होता उल्टा है। रेलवे के रिजर्वेशन के लिये जाईये आप खडे रहते है वेठने के लिये बेंच भी नही होती है पर कर्मचारी बैठे रहते है। उन्हे बारह केजुअल लीव, अठारह नेशनल लीव दोनो बहुत ही ज्यादा है और कही भी दुनिया मे इतनी लीव नहीं होती है । ज्यादा से ज्यादा पांच नेशनल लीव व तीन केजुअल लीव जनता सेवको को मिलनी चाहिये । ज्यादा लीव जनता के लिये नुक्सान दायक है और काम का निबटारा समय से करने मे बाधक हैं। छोटी सरकार, सुखी संसार, कम छुटटी, ज्यादा काम। हर किसी को समय पर काम के लिये पहुचना, कहाँ ठीक से रहना, सेवक की अपनी जिम्मेदारी होती है। हम गर्म देश मे रहते है, मुझे याद कि जब गर्मी जयादा होती थी तो स्कूल सुबह जल्दी लगते थे, हर बात मे हम अमरीका बनना चाहते है तो हम भी उनकी तरह कठिन परीश्रम क्यो नही करना चाहते है? अमरीका मे हर आफिस नौ बजे से पहले काम करना शुरु कर देता है। अमरीकी हर सप्ताह मे चालिस घन्टे काम करते है बेंको तक मे। छुटियाँ भी छः और असामयिक अवकाश सिर्फ तीन एक साल में। और तो और उन्हे आफिस मे घरेलू बातो को करने की मनाही होती है। **सबसे बडी बात जो हमारे सविधान मे है उसे बदलना होगा कि सरकारी नौकरो की सेवाये, संविधानिक गारन्टी प्राप्त है जो गलत है।** उनको पदच्युत करना असमभव नही तो कठिन अवश्य है चाहे वह काम ठीक से न करे, रिश्वत ले, पद का दुरुपयोग करें। प्रजातंत्र तो सिर्फ नाम मात्र को है, जैसा शब्द मे निहित है प्रजातंत्र मे प्रजा सर्वोपरि होनी चाहिये पर तंत्र को बचाने का हमारे सविधान मे पूरा ध्यान रक्खा गया है प्रजा गौण हो गई। एसा इसलिये कि संविधान रचने वालों को डर था अतः नौकर शाही अंग्रेजो के साथ थी जिससे जनता पर अत्याचार होने पर भी उनके साथ बदला न लिया जाय। हम यह भूल गये कि जो तंत्र हमारे शोषण के लिये बनाया गया था वह स्वतंत्र भारत सरकार के कर्मचारियों द्वारा जनता को प्रोत्साहन कैसे देगा ?

अब हम आपको जनता प्रतिनिधियों के कार्य में प्रोत्साहन की झाँकी दिखाना चाहेंगे । हम उन्हे क्यो चुनते है ? ताकि वो मिल कर ऐसे नियम बनाये जो सरल हो,देश की अधिकांश जनता के हित मे हो, और जनता को तरक्की करना आसान हो जाय, यदि जनता उन नियमो का पालन करे, जन सेवक भी उनको आसानी से लागू कर सके यदि प्रतिनिधि पायें कि जनता के हित के बजाय अनहित हो रहा है किसी नियम से, तो उसको लागू करने से पहले उसे सुधारें। प्रतिनिधि जनता से सम्पर्क मे रहे, सेवको से भी, अपने पूर्ण कार्यकाल में जो अधिकांश पाँच साल का होता है। हमने इन प्रतिनिधियो को जनता के सेवार्थ उनका प्रतिनिधित्व करने के लिये चुना था, उन्हे हमने जनता पर राज्य करने के लिये कभी नहीं चुना था । जनता प्रतिनिधियो को भी क्या क्या सुविधाये देनी चाहिये, यह भी जनता के अधिकार मे होना चाहिये,जैसे उनकी तनखा, आदि, नाकि प्रतिनिधियो के अपने अधिकार मे। जनमत का प्रविधान भी हमारे संविधान से हमे नहीं मिला है। **हम अपने प्रतिनिधि चुन सकते है पर उन्हे हटाने का अधिकार हमे संविधान से नहीं मिला है जो संविधान की एक बहुत बडी गलती है ।** प्रजातंत्र बहुमत पर निर्धारित है पर हमारे संविधान मे इस बात को बहुत ध्यान से नहीं सोचा कि बहुमत 51% वोटो पर आधरित होना चाहिये था न कि पार्टी बहुमत पर, क्योकि पार्टी सीटों के आधार पर बहुमत मे हो सकती है पर वोटो के आधार पर वह बहुमत से नहीं चुनी गई है । अब तक ज्यादा से ज्यादा 31% वोट पा सकी है जब कि पार्टी को सबसे ज्यादा सीटे मिली थी, इसका अपवाद गुजरात की मोदी सरकार है जिसे बहुमत वोट भी मिले है और सीटें भी। यह स्थिति अब तक चयनित साठ सालो से सभी सरकारों की रही है। तभी तो हमारी सारी सरकारें पार्टी की सरकारें कहलाती हैं । अगर वह सब बहुमत वोटो की सरकारे होती तो कम से कम जनता का बहुमत तो उत्साहित होता, यह भी हमारे संविधान की बहुत बडी कमी रही है।

प्रजातंत्र मे बहुमत का प्रविधान होना अवश्यक होना चाहिये अन्यथा सरकार का कोई भी काम बहुमत को खुश नहीं रख पायेगा । उसका परिणाम यह है कि पार्टी तो सरकार चला पाई पर जनता के दिलो को जीत कर उनका सहयोग नहीं ले सकी है। फल यह हुआ है कि आज तक कोई भी सरकार लोकप्रियता के उत्कर्ष तक नहीं पहुची है ज्यादा लोग किसी सरकार की बुराई करते मिलेंगे जो जनता व देश के लिये लाभदायक नहीं है इस तरह ज्यादा ताकत विरोध मे अपव्यय हो जाती है और देश निर्माण के लिये कम सहयोग मिल पाता है । अभी आपने एक खबर सुनी होगी कि हमारे प्रतिनिधि लोक सभा या राज्य सभा मे प्रश्न पूछने के लिये भी जनता से पैसों की मांग कर रहे थे। जो सरासर भ्रष्टाचार की चरम सीमा है कि जिस काम के लिये जनता ने उन्हे चुना था उसी को करने के लिये रिश्वत लेना ? **सब क्यो हो रहा है क्योकि संविधान भी जनता को प्रोत्साहन नहीं दे रहा है तंत्र की जबाबदेही की कमी और दन्ड प्रकिया कमजोर ही नहीं बहुत ज्यादा यह धीमी भी है ।**

न्याय पालिका मे प्रोत्साहन का क्या स्थान है? इस बात का जबाब देने से पहले, न्याय पालिका का जनता से कैसा नाता है उसे समझना बहुत जरुरी है, और इसका कब और कैसे जन्म हुआ ? यह तो सब ही जानते है कि स्वतंत्रता से पहले हमार देश के शहीदों को कैसा न्याय मिलता था इसी न्याय पालिका से । **इसे हम न्याय पालिका कहें या जनता धन चोसक कहे वो ज्यादा सही होगा** । एक अपबीती घटना से आपको अवगत कराना चहूगां मुझे अपने बेटे की शादी को कानूनन लिपीबद्ध कराना था शादी हिन्दू विधि विधान से हो चुकी थी। इसकी फीस मात्र दस रुपये और समय सिर्फ कुछ मिनिट जज के सामने रहना था हमने कागजी कार्यवाही पहले से पूरी कर रक्खी थी और लडके लडकी के मां बाप हम चारों वहाँ पर मौजूद थे और लडका लडकी दोनो बालिग भी थे, चार घन्टे बाद जज के सामने पहुच पाये, मात्र एक हजार रुपये खर्च करने के बाद, फिर भी प्रमाण पत्र हमे एक महीने बाद मिला जिसमे दोनो के नाम गलत थे। यह काम हमको वीसा के लिये जरुरी था इसलिये हम इस न्याय पालिका के चक्कर मे पडे थे। कितनी जगह रिश्वत देनी पडी, कहना मुश्किल नहीं, पर जरुरी न था। हम भारत को अमरीका बनाना चाहते है तो हम अमरीका जैसा तरीका क्यों नहीं अपनाते । यहाँ पर जज सुबह नौ बजे से शाम को पाँच बजे तक काम करते है बीच मे एक घन्टे का अबकाश खाने के लिये होता है, और जजों का चुनाब होता है चार वर्ष के लिये सीधे जनता के वोटों से, उनका कोई तबादला नही होता है और बह जनता को न्याय मिले, इसके लिये वचन बद्ध होते है। हमारे यहाँ पर सुनबाई कम तारीखें ज्यादा और ऊपर से जज सिर्फ तीन या चार घन्टे काम करते हैं । उन्हें कहाँ मकान, कितनी तनखा, रिश्बत ज्यादा से ज्यादा किससे और कैसे मिल सकती है उसकी फिक्र सबसे ज्यादा रहती है।

जनता को प्रोहत्साहन की क्या बात बल्कि डराया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऊपरी धन कमाया जा सके। जजों ने एक परीक्षा क्या पास कर ली जन्म भर के लिये नोकरी पक्की फिर इनको नियमानुसार काम करने की क्या जरुरत है कोई उन्हे निकाल तो नहीं सकता है हाँ स्थानान्तरण कर सकता है ज्यादा से ज्यादा । याद रक्खे संविधान उनके साथ है। खुले रुप से जजों की नाक के नीचे धन का आदान प्रदान होता है पर कोई बात नही किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। आप सब जानते हैं कि कितने मुकदमे अदालतों मे दबे हुये हैं और कितने सालों से,हर कोई जानता है कि देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर है पर जजों को जनता से क्या लेना देना जब उन्हें संविधान से मन मानी करने का अधिकार मिला हुआ है।

पुलिस पब्लिक दोनो प से शुरु होते है पर उनका आपसी संबध वैसा ही है जैसे दो चुम्बको के एक से पोलो मे होता है वह दोनो पास नहीं रह सकते एक दूसरे से दूर ही रहते है वैसे कहा यही जाता है पुलिस जनता की सुरक्षा के लिये कार्यरत है पर वस्तु स्थिति कुछ और ही है। कहाबत तो यह है कि हर चोरी चकारी मे पुलिस का हिस्सा रहता है। पता है यह सब क्यो? पुलिस व स्थानीय जनता एक दूसरे के लिये हमेशा ही अजनबी रहती है। जनता और पुलिस के बीच मे कोई मधुर सबंध नहीं रहता है। अब देखिये अब भी कुछ एक देश दुनिया मे है जहाँ निहत्थी जनता पर पुलिस गोली चलाती है ।

साठ साल के बाद अब सरकार कुछ जागी है कि पुलिस नियमो को बदला जायेगा क्योंकि ये नियम जनता जो जानवर के समान समझी जाती थी, जाहिल थी, उसी तरह से उसके लिये नियम थे। अब अमरीका मे हर छोटे से छोटे शहर को लें वहाँ की अपनी पुलिस स्थानीय होती है और स्थानीय मेयर के नीचे काम करती है। स्कूल के बच्चों को पुलिस स्टेशन ले जाकर पुलिस कैसे सबकी रक्षा करती है दिखलाया जाता है। पुलिस जनता की सेवा के लिये होती है न कि उन पर डन्डे चलाने या जनता को कायदा सिखाने के लिये। हमारे यहाँ मायें अब भी बच्चों को डराने के लिये पुलिस का नाम लेती है । हमारे यहाँ पर अब एक नया काम पुलिस को मिल गया है वह है ज्यादातर पुलिस का वी आई पी व अन्य उच्चाधिकारियों की सुरक्षा मे ही व्यस्त रहना। एसा लगता रहता है कि जनता व पुलिस के बीच रस्साकशी चल रही हो कि कौन जीतेगा इस हालत मे कौन किसको प्रोत्साहन दे सकता है ?

अब दो साल पहले एक नया नियम बनाया गया है, जानने का अधिकार (Right To Information Act- RTI) पहले हमारी सरकार के हर काम मे गोपनीयता रहती थी कारण आप अब समझ गये होगे अग्रेंजी सरकार द्वारा बनाये गये पुराने नियम इस मानसिकता का उद्गम स्थान था। पर अब आप सरकार के हर काम के बारे मे अटकल लगाने के बजाय, किसी भी काम के बारे मे कानूनन सही बात का पता कर सकते हैं कि कोई काम हो रहा है या नही और हुआ है तो कितना हुआ है और कौन उसको करने के लिये जिम्मेदार है इत्यादि। मेरा अपना मत यह है कि जनता अपने इस अधिकार का सही इस्तेमाल करके रिश्वतखोरी को रोक सकती है। इस नियम के जरिये हर सरकारी महकमे मे सुधार किया जा सकता है चाहे वह पुलिस, नेता, न्याय पालिका, नगर पालिका, राज्य सरकार, केंद्रिय सरकार, स्थानीय प्रशासन, कोई भी हो बेरोजगार युवक युवतियाँ इसके बारे मे दूसरों को बतायें व उसके लिये उचित मुआवजा लें सलाहकार बन के जनता के कि वे इस नियम से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, यह देश की जागरूकता के संदर्भ मे मेरा सपना है।

एक बात हम अवश्य याद रखें कि सरकार हमारी है और यदि हम ही सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे तो हम सब आगे नहीं बढेंगे, साथ ही यह बात भी जरूरी है कि नियमो की अवहेलना न करे परन्तु वो नियम जो जनता व देश की उन्नति मे बाधक बने हुए हैं उन नियमों को यथा शक्ति बदलने का प्रयास करते रहना भी जरूरी है ।जब तक जनता द्वारा चुने हुये प्रतिनिधियों को तंत्र द्वारा मनोनीत अधिकारियों से ज्यादा अधिकार नहीं मिलेगा जनतंत्र नहीं आयेगा और परस्पर प्रोत्साहन के अभाव मे देश की बहुमुखी प्रतिभा व प्रगति बन्दी ही रहेगी जिसका लाभ किसीको भी नहीं मिलेगा। अतः मेरी अपसे विनती है कि इस दिशा मे सोचें और स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के नाते अपने वोट व अधिकार का प्रयोग करें साथ ही एक दूसरे को सहयोग व प्रोत्साहन दें । न्याय पालिका, कार्य पालिका, विधान पालिका, परस्पर मिलकर काम करे पर उन्हे अपने अपने कार्य सुचारु व स्वतन्त्रता पूर्वक करने दिया जाय ।

उमेश रश्मि रोहतगी 24161 निलन डराइव नोवी मिचिगन अमरीका 48375, 3 अप्रेल 2007
Phone :248-471-5786 Email: "rurohatgi@yahoo.com" , web : "www.rurohatgi.com"